किशोरीलाल बनाम श्योरामवगै.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु० नं० 63/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09-04-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 7 व 8 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं अथवा कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी सं० 7 व 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत धापोली द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवम् जमाबंदी ढाणी लोकडाला प०ह० धापोली में वादी का पिता का नाम छोटू दर्ज है। अतः वादी का दावा वादी के पिता का नाम दुरुस्त करने की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि :- **निर्णय** तन ग्राम कोटडी लुहारवास तहसील खण्डेला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जिला सीकर अवास्थित कृषि भूमि ख०नं० 1738, 1856, 1858 तादादी 1.8900 है०, ख०नं० 1746, 1748 तादादी 0.6600 है० एवं कृषि भूमि ख०नं० 1877, 1880, 1883, 1884, 1890, 1891, 1893 तादादी 2.7200 है० में वादी किशोरीलाल के पिता का गलत दर्ज नाम "पन्नाराम" के स्थान पर वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम "घीटू" अर्थात "किशोरीलाल पि० पन्नाराम" के स्थान पर "किशोरीलाल पि० घीटू" दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09/04/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	9/4/21 (राकेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)
	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला